APP-A

Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....कोटा.....

.....आकाश शर्मा.....बनाम.....सरकार.....

किस्म मुकदमा.....136 L.R.....नं. .....46.....सन्.....2024.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/24	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आकाश शर्मा की ओर से जर्ये अधिवक्ता बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। सरकार पैरोकार उपस्थित। सरकार पैरोकार को प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। पत्रावली तहसील रिपोर्ट वास्ते दिनांक ....26/12/24.... को पेश हो। 17/12 उपखण्ड अधिकारी कोटा	
26/12/24.	पत्रावली पेश हुई। तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली है। तहसील रिपोर्ट तथा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गोडल्याहेडी में प्रार्थी तथा अप्रार्थी 2 व 5 के संयुक्त खाते की आराजी कुल किता 4 रकबा 4.90 हैक्टे. स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी का नाम आकाश शर्मा अंकित कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम आकाश मारवाल है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, रेकार्ड,	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	कक्षा 10 की मार्कशीट संलग्न की गई है. तथा विवेचन किया गया है कि सम्बन्धित आराजीयात पर प्रार्थी का नाम आकाश शर्मा के स्थान पर आकाश भारद्वाज दर्ज किया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित किया गया है कि विरासत के ना.सं. 186/3.5.21 से आकाश शर्मा नाम दर्ज किया गया लेकिन नामान्तरकरण के साथ संलग्न दस्तावेजों व शपथपत्र में नाम आकाश भारद्वाज ही अंकित है. उक्त तथ्यों से प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा आकाश भारद्वाज नाम से ही आवेदन किया गया था, लेकिन त्रुटिवश से नामान्तरकरण में नाम आकाश शर्मा दर्ज कर दिया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम गोडल्याहेडी की आराजी ख.नं. 422, 424, 57, 67, 67/60 पर प्रार्थी का नाम प्रार्थी का नाम आकाश शर्मा के स्थान पर आकाश भारद्वाज दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो 26/12/21 उपखण्ड अधिकारी कोटा	